न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur 2022-118 (GCMS2022-199) RTA225 Motiram etc Vs Baburam n ors

1. मोतीराम पुत्र छोगाराम कुम्हार
2. लिखमाराम पुत्र छोगाराम कुम्हार
3. सोनाराम पुत्र जीताराम कुम्हार
4. बंशीलाल पुत्र जीताराम कुम्हार
   निवासीगण ग्राम शिवपुरी,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
5. बाबुलाल पुत्र ओमाराम कुम्हार
6. सुआदेवी पत्नी ओमाराम कुम्हार
   निवासीगण ग्राम जम्भेश्वरनगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. धनाराम पुत्र केवलराम कुम्हार
   निवासी ग्राम शिवपुरी,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र पुखाराम कुम्हार
2. बिडदाराम पुत्र पुखाराम कुम्हार
3. डूंगरराम पुत्र पुखाराम कुम्हार
4. रूपाराम पुत्र पुखाराम कुम्हार
5. गोमीदेवी पत्नी पुखाराम कुम्हार
6. हजारीराम पुत्र रेखाराम कुम्हार
7. कमला पत्नी चैनाराम कुम्हार
8. मोहनराम पुत्र रेखाराम कुम्हार
   निवासीगण ग्राम जम्भेश्वरनगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
9. लुणाराम पुत्र पोकरराम कुम्हार
10. रूपाराम पुत्र पोकरराम कुम्हार
11. रामलाल पुत्र पोकरराम कुम्हार
12. मूलाराम पुत्र पोकरराम कुम्हार
13. हडमानराम पुत्र पोकरराम कुम्हार
    निवासीगण ग्राम शिवपुरी,
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
14. कानुदेवी पुत्री धुडाराम पत्नी केवलराम कुम्हार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी ग्राम रेवारा, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

15. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार ओसियां,
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 07 अप्रेल 2022 राजस्व वाद संख्या 191/2021 बाबुलाल व अन्य बनाम कमला इत्यादि

उपस्थित-
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 15

नि र्ण य

दिनांक : 19 जनवरी, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 191/2021 बाबुलाल व अन्य बनाम कमला इत्यादि में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी बाबत पारित आदेश दिनांक 07 अप्रेल 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अप्रेल 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम जम्भेश्वरनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 2594 रकबा 12 बिस्वा तथा ग्राम शिवपुरी स्थित आराजी खसरा संख्या 2383 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

08 बिस्वा, खसरा संख्या 2384 रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 2512 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 14 जनवरी 2015 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल 2015 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और 01 जुलाई 2016 को उक्त वाद डिक्री कर दिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 120/2016 (जीसीएमएस संख्या 2016-00157) मोतीराम व अन्य बनाम बाबुराम इत्यादि का दिनांक 22 मार्च 2021 को निस्तारण करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिसम्मतः रूप से मूल वाद का निस्तारण किया जावे। अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 22 मार्च 2021 के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28 सितम्बर 2021 को पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी और प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी कर तलब किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 03 जनवरी 2022 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 पेश कर उनके खिलाफ पारित इकतरफा कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अप्रेल 2022 को उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22 मार्च 2021 के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28 सितम्बर 2021 को पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी किन्तु इस बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलाण्ड्स को नहीं दी गयी। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28 सितम्बर 2021 में प्रतिवादीगण के सम्मन पुनः जारी किये जाने के आदेश दिये गये, मगर इसकी पालना में कोई सम्मन जारी ही नहीं किया गया। आदेशिका के हाशिये पर सम्मन जारी किये जाने के नम्बर एवं दिनांक अंकित नहीं है। निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्मन दो प्रतियों में जारी किये जाते है जिनमें से तामीलकुनिन्दा द्वारा एक प्रति संबंधित पक्षकार को दी जाती है तथा दूसरी प्रति तामील करवा कर पुनः न्यायालय को लौटायी जाती है। रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की स्थिति में एक प्रति संबंधित पक्षकार को प्रेषित की जाकर दूसरी प्रति पोस्टल रसीद के साथ न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। मगर आलौच्य मामले में ऐसी कोई प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे जाहिर है कि सम्मन जारी ही नहीं किये गये है। इन सभी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03 जनवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2022 को प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी जो विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है। उक्त कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमें कथन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मन अपीलाण्ट्स को प्राप्त नहीं हुए। उक्त प्रार्थनापत्र में यह भी निवेदन किया गया कि रेस्पो. संख्या 6 के पुत्र डोटाराम ने डाकिया से सांठ-गांठ कर अपीलाण्ट्स की झूठी तामील बनवा कर अपीलाण्ट्स के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करवा दी है। इस संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा डाकिया एवं रेस्पो. संख्या 6 के पुत्र के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का कोई खण्डन भी नहीं किया गया। मगर इसके उपरान्त भी उक्त प्रार्थनापत्र को नहीं मानने का विचारण न्यायालय द्वारा कोई कारण दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए जारी फाइनल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 07 अप्रेल 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत इन्हीं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील 2022-131(2022-56) मोतीराम व अन्य बनाम बाबुराम इत्यादि का अदालत हाजा द्वारा दिनांक 20 अप्रेल 2022 को निस्तारण करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया

अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त अपील में इकतरफा कार्यवाही के संबंध में कोई आक्षेप नहीं लिया गया और न ही प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जनवरी 2022 बाबत कोई अपील पेश की गयी है। दिनांक 28 सितम्बर 2021 को मूल वाद में पुनः कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुसरण में रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये जिनकी द्वितीय प्रतियॉ एवं पोस्टल रसीदात विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि निर्धारित विधिक प्रावधानों के अनुसार फाइनल डिक्री एवं आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी बाबत पारित आदेश के खिलाफ एक ही अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः दो अलग-अलग अपीलें पेश की गयी है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष इकतरफा कार्यवाही अपास्त किये जाने हेतु सीपीसी के आदेश 9 नियम 7 व 13 के तहत कार्यवाही किये जाने के कारण प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अपील पेश नहीं की गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि-

1. आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद दिनांक 14 जनवरी 2015 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल 2015 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और 01 जुलाई 2016 को उक्त वाद डिकी कर दिया गया।
2. जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 120/2016 (जीसीएमएस संख्या 2016-00157) मोतीराम व अन्य बनाम बाबुराम इत्यादि का दिनांक 22 मार्च 2021 को निस्तारण करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिसम्मतः रूप से मूल वाद का निस्तारण किया जावे।
3. अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 22 मार्च 2021 के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28 सितम्बर 2021 को पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी और प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी कर तलब किया गया। **तदनुसार रजिस्टर्ड डाक से सम्मन**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भिजवाने की दिनांक 29 सितम्बर 2021 की पोस्टल रसीदात विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 84 पर तथा सम्मनों की द्वितीय प्रतियॉ विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 67 से 82 उपलब्ध है। किन्तु प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 03 जनवरी 2022 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिसके खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4. विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 पेश कर उनके खिलाफ पारित इकतरफा कार्यवाही का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अप्रेल 2022 को उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। साथ ही फाइनल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 07 अप्रेल 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत इन्हीं अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील 2022-131(2022-56) मोतीराम व अन्य बनाम बाबुराम इत्यादि का अदालत हाजा द्वारा दिनांक 20 अप्रेल 2022 को निस्तारण करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. **आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा परस्पर विरोधाभासी आधारों पर प्रस्तुत की गयी है** क्योंकि एक ओर जहॉ अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स द्वारा विभिन्न तर्को के साथ यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक 28 सितम्बर 2021 को मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही कोई सम्मन जारी किये गये, वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत विचारण न्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मन अपीलाण्ट्स को प्राप्त नहीं होना, रेस्पो. संख्या 6 के पुत्र डोटाराम ने डाकिया से सांठ-गांठ कर अपीलाण्ट्स की झूठी तामील बनवा कर अपीलाण्ट्स के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करवा दिया जाना, इस संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा डाकिया एवं रेस्पो. संख्या 6 के पुत्र के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया जाना आदि उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित किया जाने संबंधित अभिकथन भी अपील स्तर पर किये गये है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह भलीभांति प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 120/2016 (जीसीएमएस संख्या 2016-00157) मोतीराम व अन्य बनाम बाबुराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 22 मार्च 2021 के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28 सितम्बर 2021 को पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी और प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी कर तलब किया गया। **विचारण न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाने की दिनांक 29**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सितम्बर 2021 की पोस्टल रसीदात पेज 84 पर व सम्मनों की द्वितीय प्रतियॉ पेज 67 से 82 तक उपलब्ध है। किन्तु प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 03 जनवरी 2022 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। ऐसी स्थिति में उक्त इकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी को जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि अथवा अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स परस्पर विरोधाभासी अभिकथनों पर आधारित एवं सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अप्रेल 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर